भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
महालेखाकार का कार्यालय
(लेखा एवं हकदारी)-I, महाराष्ट्र
2 रा मंजिल, प्रतिष्ठा भवन, न्यू मरीन लाईन्स, 101, महर्षी कर्वे रोड, चर्चगेट,
मुंबई - 400 020, दूरभाष क्र.- (022)22039680,फैक्स - 22086984,
ई-मेल : agaeMaharashtra1@cag.gov.in, वेबसाईट : http://agmaha.cag.gov.in

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL
(ACCOUNTS & ENTITLEMENT)-I, MAHARASHTRA
2nd Floor, Pratishtha Bhavan, New Marine Lines, 101, Maharshi Karve Road,
Churchgate, Mumbai – 400 020. Tel.No.- (022) 22039680, Fax - 22086984
e-mail . agaeMaharashtra1@cag.gov.in, Website . http://agmaha.cag.gov.in

पंजीकृत डाक

संख्या - पी.ए. I/शासकीय/जी.आर. सं.P/21/Govt/61100024/**Madhya Pradesh**/Ch.5/जा.सं. 18/11/2021

सेवा में, 61007661

1. सभी खजाना कार्यालय,

2., वेतन एवं लेखा अधिकारी,
लेखा-कोष भवन, ए विंग,
बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा पूर्व,
मुंबई-400 051.

विषय --**Revision of Pension and Medical Allowance to Ex MLA of Madhya Pradesh State Government.**

संदर्भ --**O/o The Accountant General (A&E)—II, Madhya Pradesh.**

महोदय,

उपरनिर्दिष्ट पत्र की एक प्रति इसके साथ भेजी जा रही है, जो महालेखाकार का कार्यालय (लेखा व हकदारी) **Madhya Pradesh, Gwalior** के पत्र संख्या Pension/1073 दिनांक 13/08/2021 द्वारा प्राप्त हुआ है।

2. संलग्न जी.आर. के अनुसार कृपया इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें। सभी खजाना अधिकारियों से अनुरोध है कि उनके नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले तथा उन सभी उप खजाना कार्यालयों को इस जी.आर./परिपत्र की प्रति भेजें। क्योंकि उन्हें अलग से जी.आर. नहीं भेजा गया है

3. सभी **Ex MLA** सरकार **Madhya Pradesh** के पेंशन धारकों को सूचित करने के लिए परिपत्र की एक प्रति कृपया सूचना पट्ट पर दर्शायें।

4. **The said Orders have been uploaded on this office website.i.e.agmaha.cag.gov.in**
कृपया इस परिपत्र की पावती भेजें।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए. I

संख्या - पी.ए. I/शासकीय/जी.आर. सं. P/21/Govt/6110024/Madhya Pradesh/Ch.5/जा.सं.

1. कार्यालय, महालेखाकार **(लेखा व हकदारी)-II, महाराष्ट्र, नागपुर-440 001 (पेंशन विविध अनुभाग)**
2. निदेशक, खजाना एवं लेखा, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई.
3. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, पुणे विभाग, पुणे.
4. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, नागपुर विभाग, नागपुर.
5. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, नाशिक विभाग, नाशिक
6. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद.
7. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, वेतन एवं लेखा अधिकारी, बांद्रा पूर्व, मुंबई-400 051.
8. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, अमरावती. विभाग, अमरावती.
9. The Directorate of Accounts and Treasuries, New Administrative Building, 5th Floor, Computer Section, Opp. Mantralaya – 32.
10. महालेखाकार का कार्यालय (लेखा व हकदारी) , **Madhya Pradesh, Gwalior** के पत्र संख्या Pension/1073 दि.13/08/2021.

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) –द्वितीय का कार्यालय, मध्यप्रदेश

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)-II, Madhya Pradesh

सत्यमेव जयते

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

1112 EDP

विषयः– माननीय भूतपूर्व म.प्र. विधान सभा सदस्यों को पुनरीक्षित दर से पेंशन/परिवार पेंशन एवं चिकित्सा भत्ता के भुगतान हेतु।

संदर्भः– सचिवालय का पत्र क्र. 310/वि.स./स. ले./16, भोपाल दिनांक 05.05.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत म.प्र. राजपत्र (असाधारण)/186, दिनांक 22.04.2016 में प्रकाशित म.प्र. विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन संशोधन अधिनियम 2016 के अनुसार म.प्र. विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों की न्यूनतम पेंशन में रू. 5000/– प्र.मा., परिवार पेंशन में रू. 8000/– प्र.मा. एवं चिकित्सा भत्ता में रू. 5000/– प्र. मा. की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही बस यात्रा भत्ता समाप्त कर दिया गया है। भूतपूर्व सदस्यों को उनकी पात्रता अनुसार पुनरीक्षित पेंशन, परिवार पेंशन एवं चिकित्सा भत्ता दिनांक 22.04.2016 से प्रभावशील होगा। अतः दिनांक 22.04.2016 से न्यूनतम पेंशन रू. 15,000/– के स्थान पर रू. 20,000/– प्र.मा. देय है एवं प्रत्येक पांच वर्ष के ऊपर अतिरिक्त वर्ष की सेवा के लिये रू. 500/– के स्थान पर रू. 800/– प्र.मा. देय है। चिकित्सा भत्ता वर्तमान दर रू. 10,000/– के स्थान पर रू. 15,000/– प्र.मा. देय है। परिवार पेंशन रू. 10,000/– के स्थान पर रू. 18,000/– प्र.मा. की पात्रता है। अधिनियम के अनुसार पेंशन की पुनरीक्षित दर निम्नानुसार देय होगीः–

वर्तमान पेंशन दर प्र.मा. रू.	दिनांक 22.04.2016 से पुनरीक्षित पेंशन दर प्र.मा. रू.
15000	20000 (विधायक अवधि 05 वर्ष)
15500	20800 (विधायक अवधि 06 वर्ष)
16000	21600 (विधायक अवधि 07 वर्ष)
16500	22400 (विधायक अवधि 08 वर्ष)
17000	23200 (विधायक अवधि 09 वर्ष)
17500	24000 (विधायक अवधि 10 वर्ष)
18000	24800 (विधायक अवधि 11 वर्ष)
18500	25600 (विधायक अवधि 12 वर्ष)
19000	26400 (विधायक अवधि 13 वर्ष)
19500	27200 (विधायक अवधि 14 वर्ष)
20000	28000 (विधायक अवधि 15 वर्ष)
20500	28800 (विधायक अवधि 16 वर्ष)

उपरोक्त सभी भूतपूर्व विधायकों को पुनरीक्षित पेंशन/परिवार पेंशन एवं चिकित्सा भत्ता का भुगतान अविलम्ब सुनिश्चित करें। बस यात्रा भत्ता समाप्त कर दिया गया है।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पेंशन

क्रमांक/एम.एल.ए./पेंशन/

दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. उप सचिव, म.प्र. विधान सभा सचिवालय, भोपाल (म.प्र.)–462004 की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक (कोष एवं लेखा) म.प्र. भोपाल–462011 को सूचनार्थ।

Sd/-

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पेंशन

Address : Lekha Bhawan, Jhansi Road, Gwalior-474002
Phone : 0751-2323968
Fax : 0751-2432194

पता : लेखा भवन, झाँसी रोड, ग्वालियर – 474002
दूरभाष : 0751–2323968
फैक्स : 0751–2432194